डीजी परिपत्र संख्या - 20 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

प्रिय महोदय,

दिनांकः लखनऊः अप्रैल 13 ,2016

विषयः- महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों में पुलिस कार्यवाही की प्रक्रिया।

महिलाओ के साथ घटित होने वाले अपराध अत्यन्त निन्दनीय होते हैं। विशेष रूप से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़खानी एवं अपहरण इत्यादि घटनायें पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं एवं आम नागरिकों, न्यायालयों एवं मीडिया के समक्ष पुलिस की प्रतिकूल छबि बनती है और हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घटनाओं की प्रभावी रोकथाम आवश्यक है। इस समन्ध में आप सभी को समय-समय पर इस मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्रों द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये है। आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि इन निर्देशों का अनुपालन कर महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की प्रभावी रोकथाम करें।

1.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-07/2012 दिनांक 29.01.2012
2.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-24/2012 दिनांक 20.04.2012
3.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-31/2012 दिनांक 05.07.2012
4.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-35/2012 दिनांक 23.07.2012
5.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-43/2012 दिनांक 24.09.2012
6.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-53/2012 दिनांक 10.11.2012
7.परिपत्र सं0:-एडीजी परिपत्र-01/2013 दिनांक 08.01.2012
8.परिपत्र सं0:-डीजी-सात-एस-3/23/2012 दि0 13.01.2013
9.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-03/2013 दिनांक 16.01.2013
10.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-06/2013 दिनांक 02.02.2013
11.परिपत्र सं0:-डीजी-सात-एस-3/15/2013 दिनांक 30.02.2013
12.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-10/2013 दिनांक 20.03.2013
13.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-11/2013 दिनांक 09.04.2013
14.परिपत्र सं0:-डीजी परिपत्र-12/2013 दिनांक 12.04.2013
15.परिपत्र सं0:-डीजी-सात-एस-2ए/निर्देश/2013 दि012.04.2013

इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के पंजीयन से लेकर विवेचना समाप्ति तक पुलिस द्वारा पर्याप्त संवेदनशीलता दर्शायी जाय। ऐसे अपराध की सूचना के पश्चात् पर्याप्त संवेदनशीलता बरतते हुए तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये न्यायालय के आदेशों एवं विधि के प्रभावी नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी पीड़िता का अनावश्यक उत्पीड़न न हो एवं उनके सम्मान की रक्षा हो सके। इस क्रम में महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में संवेदनशीलता बरतने हेतु निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं। कृपया इनका अनुपालन सुनिश्चित करें :-

- महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों मे सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बिना विलम्ब के प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जाय। इस हेतु प्रत्येक थाने पर महिला पुलिस अधिकारी की उपलब्धता अनिवार्य की गयी है। महिला सम्बन्धी अपराध की सूचना मिलने पर थाने का दिवसाधिकारी थाने पर उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी को सूचित करेंगे।
- थाने पर नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी का प्रथम दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला एवं उसके परिवार को सान्त्वना देकर उसे शान्त करें।
- अभियेाग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीकरण संशोधित द0प्र0सं0 के अनुसार महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। धारा 161 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत छेड़खानी व बलात्कार के प्रकरणो में विवेचना के दौरान उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा।
- पीड़ित महिला यदि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवादक या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा सम्बन्धित अभिलेखीकरण की वीडियोग्राफी भी करायी जाएगी।
- यदि पड़िता को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो अथवा पीड़िता और उसके परिवार ने अपने किसी अधिवक्ता को नहीं बुलाया है, तो डियूटी ऑफीसर का यह दायित्व होगा कि वह कानूनी

सहायता हेतु तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वयंसेवी (Paralegal Volunteer) या अधिवक्ता को बुलायेगा। प्रत्येक थाने पर ऐसे स्वयंसेवी अधिवकताओं की एक सूची होनी चाहिए, जो महिला सम्बन्धी लैंगिक अपराधों में पीड़िता की मदद करते हैं।

- महिला सम्बन्धी अपराधों की सूचना तत्काल क्षेत्राधिकारी को दी जाएगी और क्षेत्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पूरी विवेचना का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेगें।
- प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जाएगा।
- बलात्कार के प्रकरणों में पीड़ित महिला का बयान धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी तत्काल कराया जाएगा।
- बलात्कार के प्रकरणों में यदि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में 24 घण्टे से अधिक समय लगता है तो विवेचक अभियेाग दैनिकी में इसका कारण अंकित करेगा और इसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- द0प्र0सं0 की धारा 157(ए) के अनुसार बलात्कार की पीड़िता का बयान उसके आवास पर या उसके द्वारा इच्छित स्थान पर उसके माता पिता, अविभावको, नजदीकी रिश्तेदारों या सामाजिक कार्यकर्ता की मौजूदगी में लिया जाएगा।
- पीड़ित महिला का 161 द0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाएगा इस बयान को लेने के लिए पीड़ित महिला को किसी भी दशा में धारा 160 द0प्र0स0 का नोटिस देकर थाना एवं अन्यत्र स्थान पर नही बुलाया जायेगा यह बयान पीड़ित महिला के घर में एकान्त (private) मे ही लिया जायेगा। पीड़ित महिला के परिवार के सदस्य बयान के समय पीड़िता को निश्चिन्त करने हेतु उपस्थित रह सकतें हैं।
- विवेचक इस बात का ध्यान रखेगा कि बयान में अकित तथ्यों को धारा 173 द0प्र0स0 के अर्न्तगत आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने तक किसी के समक्ष प्रकट न किया जाए। इस सम्बन्ध में प्रभावी गोपनीयता बनायी रखी जाए।
- पीड़िता के अन्तः वस्त्र आदि उसकी सहमति से ही यथा सुरक्षित कर नियमानुसार परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे जायें।
- विवेचक का दायित्व होगा कि इन अपराधो की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें ताकि अभियुक्त को धारा 167 द0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न प्राप्त हो सके।
- द0प्र0सं0 की धारा 161(3) के अर्न्तगत गवाहो के बयान का आडियो/वीडियो बनाने का प्राविधान है। प्रत्येक बयान की आडियो/वीडियो रिकार्डिग की जाय।
- यदि विवेचना या ट्रायल के दौरान पीड़ित महिला को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियेाग पंजीकृत कर कार्यवाही करें।
- बलात्कार की घटनाओं मे संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त 53(ए) द0प्र0सं0 के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण कराया जाय।
- धारा 173(1ए) द0प्र0सं0 के अर्न्तगत बच्चियो के साथ हुए बलात्कार के अभियोगों की विवेचना 03 माह के अन्दर अवश्य पूरी कर ली जाए। यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो Protection of Children from Sexual Offences Act 2012(POCSO) के अर्न्तगत भी उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाय।

- किसी भी दशा में अभियुक्त को कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त पीड़ित के समक्ष नही लाया जाएगा।
- किसी भी दशा मे पीड़िता को थाने पर नही रखा जाएगा। यदि चिकित्सा की आवश्यकता हो तो उसे चिकित्सालय मे भर्ती कराया जाएगा अन्यथा स्वेच्छा पर घर जाने दिया जाएगा।
- महिलाओं के साथ घटित बलात्कार, हिंसा एवं दुर्व्यहार आदि के प्रकरणों में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण एवं रहन-सहन, कपड़े पहनने के तरीके एवं उसके व उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाय। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जायें। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाय।
- पीड़ित महिला के साथ घटित अपराधों के सम्बन्ध में पीड़िता का नाम, पता, आदि का प्रचार किसी भी दशा में न किया जाय। यह महिला के निजी जीवन से सम्बन्धित है।
- धारा 166 भा0द0वि0 के पश्चात अन्तः स्थापित धारा 166ए भा0द0वि0 (vide Crl. Law Amendment Act 2013) के अर्न्तगत यदि कोई पुलिस अधिकारी धारा 326/354 एवं धारा 376 व 509 भादवि के अनुसार दण्डीय संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज करने मे असफल रहता है, तो उसके विरूद्ध 166क के अर्न्तगत दण्डित करने का प्राविधान किया गया है। यदि कोई पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में दोषी पाया जाता है, तो इन प्राविधानों का उपयोग कर उसे दण्डित किया जाय।

आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस निर्देश की प्रति अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षकों/क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को उपलब्ध करा दें तथा एक कार्यशाला के माध्यम से इन निर्देशों को भली-भांति अवगत करा दें कि वे महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों में संवेदनशील रहकर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

भवदीय

13.4.16.

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।